

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

वार्षिक प्रतिवेदन (2011-12)

परिचय

औद्योगीकरण के सतत विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति-निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है:-

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोकदायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

मण्डल का गठन

मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :-

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 1 | डॉ. वी. एस. सिंह (दिनांक 01.04.2011 से 01.03.2012 तक) श्रीमति आशा सिंह (दिनांक 01.03.2012 से 31.03.2012 तक) | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. डी. एन. पाण्डेय | सदस्य-सचिव |
| 3 | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो | सदस्य (सरकारी) |
| 4 | शासन सचिव, पर्यावरण विभाग | सदस्य (सरकारी) |
| 5 | आयुक्त, परिवहन विभाग | सदस्य (सरकारी) |
| 6 | निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य (सरकारी) |
| 7 | विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-3) विभाग | सदस्य (सरकारी) |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर | सदस्य (बोर्ड या निगम) |
| 9 | प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम | सदस्य (बोर्ड या निगम) |
| 10 | श्री रामेश्वर दाधीच, महापौर, नगर निगम, जोधपुर | सदस्य (स्थानीय निकाय) |
| 11 | डॉ. रतना जैन, महापौर, नगर निगम, कोटा | सदस्य (स्थानीय निकाय) |

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 12 | श्री कमल बाकोलिया, महापौर, नगर निगम, अजमेर | सदस्य (स्थानीय निकाय) |
| 13 | श्री भवानी शंकर शर्मा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर | सदस्य (स्थानीय निकाय) |
| 14 | श्री केवल चन्द गुलेच्छा, अध्यक्ष, नगर परिषद, पाली | सदस्य (स्थानीय निकाय) |
| 15 | श्री डी.पी.गोविल, (रिटायर्ड आई.एफ.एस.) | सदस्य (गैर सरकारी) |
| 16 | डॉ. ए.बी. गुप्ता, प्रोफेसर, एम.एन.आई.टी., जयपुर | सदस्य (गैर सरकारी) |
| 17 | श्री दुर्गेश बांगड़, कंचन ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा | सदस्य (गैर सरकारी) |

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 13 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के चार अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी स्थापित की गई हैं। आठ नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित करने का काम प्रगति पर है। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 363 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 284 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनीकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गों में विभाजित है।

वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पूर्ण मण्डल की दो बैठकें क्रमशः दिनांक 13.07.2011 एवं 16.02.2012 को आयोजित की गईं।

मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लेखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियां हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

सम्मति प्रबंधन

राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के सम्मति आवेदन पत्र निष्पादन

| लाल श्रेणी | | | | | |
|------------------------|---|--|------|--|--|
| सम्मति का प्रकार | 1.4.2011 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | योग | वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या | 31.3.2012 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या |
| स्थापना (जल अधिनियम) | 411 | 684 | 1095 | 502 | 593 |
| स्थापना (वायु अधिनियम) | 250 | 1098 | 1348 | 862 | 486 |
| संचालन (जल अधिनियम) | 1144 | 1192 | 2336 | 771 | 1565 |
| संचालन (वायु अधिनियम) | 527 | 1858 | 2385 | 1309 | 1076 |
| योग | 2332 | 4832 | 7164 | 3444 | 3720 |

| नारंगी श्रेणी | | | | | |
|------------------------|-----|------|------|------|------|
| स्थापना (जल अधिनियम) | 174 | 810 | 984 | 606 | 378 |
| स्थापना (वायु अधिनियम) | 82 | 642 | 724 | 620 | 104 |
| संचालन (जल अधिनियम) | 247 | 1359 | 1606 | 1048 | 558 |
| संचालन (वायु अधिनियम) | 272 | 1103 | 1375 | 1142 | 233 |
| योग | 775 | 3914 | 4689 | 3416 | 1273 |
| अन्य श्रेणी | | | | | |
| स्थापना (जल अधिनियम) | 11 | 128 | 139 | 131 | 8 |
| स्थापना (वायु अधिनियम) | 33 | 363 | 396 | 316 | 80 |
| संचालन (जल अधिनियम) | 56 | 127 | 183 | 161 | 22 |
| संचालन (वायु अधिनियम) | 174 | 377 | 551 | 502 | 49 |
| योग | 274 | 995 | 1269 | 1110 | 159 |

राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के सम्मति आवेदन पत्र निष्पादन

खनन ईकाइयां

| सम्मति का प्रकार | 1.4.2011 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | योग | वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या | 31.3.2012 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या |
|------------------------|---|--|-------|--|--|
| स्थापना (जल अधिनियम) | 4 | 138 | 142 | 128 | 14 |
| स्थापना (वायु अधिनियम) | 56 | 1420 | 1476 | 1366 | 110 |
| संचालन (जल अधिनियम) | 132 | 1037 | 1169 | 1021 | 148 |
| संचालन (वायु अधिनियम) | 4618 | 14857 | 19475 | 12990 | 6485 |
| योग | 4810 | 17452 | 22262 | 15505 | 6757 |

प्राधिकार प्रबन्धन

राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008, जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000 के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष 2011-12 के लिए प्राधिकार आवेदन पत्र निष्पादन सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:

| प्राधिकार का प्रकार | 1.4.2011 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | योग | वर्ष के दौरान निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या | 31.3.20112 को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या |
|----------------------|---|--|------|--|---|
| परिसंकटमय अपशिष्ट | 97 | 227 | 324 | 193 | 131 |
| जैव चिकित्सा अपशिष्ट | 199 | 1148 | 1347 | 1083 | 264 |
| नगरीय ठोस अपशिष्ट | 15 | 3 | 18 | 1 | 17 |

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 858 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित उद्योगों में से 138 उद्योग वर्तमान में बंद है अथवा परिसंकटमय अपशिष्ट जनित नहीं करते हैं, 65 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा बहुत कम है एवं 88 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट मात्र उनके डी. जी. सेट/ कम्प्रेसर से निकलने वाले spent/ used oil के रूप में है (कुल 322 उद्योग), जबकि शेष 536 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा अधिक होने से उन्हें परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है।

राज्य के इन 536 उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 781794 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस अपशिष्ट की अधिकांश मात्रा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (6 इकाईयाँ) एवं सामूहिक उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों (6 इकाईयाँ) से जनित होती है एवं जिनकी अनुमानित मात्रा क्रमशः लगभग 596620 एवं 10052 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष (कुल 606672 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष) है, जबकि राज्य के अन्य उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा लगभग 175122 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधा का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कॉन्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा० लि० में स्थित भट्टी (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन

वर्ष 2011-2012 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बैड के 13 अस्पतालों, 200 से 499 बैड के 31 अस्पतालों, 50 से 199 बैड के 191 अस्पतालों, 49 बैड तक के 2191 अस्पतालों एवं 935 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र आदि को चिन्हित किया गया है इनसे अनुमानतः 14171.45 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 11 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल | लाभान्वित शहर/ जिले |
|---------|--|---|
| 1 | इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम-खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर। | जयपुर (सिटी), 10,000 बैड तक |
| 2 | राजपूताना बायोटेक प्रा. लि., ग्राम - खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर। | जयपुर (सिटी) 10,000 बैड से अतिरिक्त एवं जयपुर ग्रामीण, जिला सीकर एवं दौसा |
| 3 | एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम-उमरदा, उदयपुर। | जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोंही |
| 4 | सेल्स प्रमोटर, ग्राम-केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर। | जिला जोधपुर, पाली एवं जालौर |
| 5 | सेल्स प्रमोटर, ग्राम-सांदरिया, अजमेर | जिला अजमेर, भीलवाडा एवं चित्तौड़गढ़ |
| 6 | इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर | जिला बीकानेर, नागौर एवं लाड़नूं |
| 7 | इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़ | जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर |
| 8 | हॉसविन इन्सीनरेटर, जैलवैल के सामने, खसरा नं. 645/256, रुन्डी धूनी नाथ, अलवर। | जिला अलवर एवं भरतपुर |
| 9 | हॉसविन राजपूताना इन्सीनरेटर, ग्राम-थिनला, सवाईमाधोपुर। | जिला सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली |
| 10 | हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम-धानवारा, झालावाड़ | जिला झालावाड़ एवं बारँ |
| 11 | राजदीप बायोटेक, ग्राम-बोरावास, कोटा | जिला कोटा एवं बून्दी |

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिटुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2011-12 तक ग्यारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन ग्यारह संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से चार संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक-एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल एवं बिटुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक

संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री-रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर-माचेडी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाडी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

| क्रसं | संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान | स्थापना/ प्रारम्भ वर्ष | संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता | उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | प्रथम संयंत्र (Pali CETP-1) मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली | 1983 | 05.20 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 2 | द्वितीय संयंत्र (Pali CETP-2) मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली | 1997 | 08.40 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 3 | तृतीय संयंत्र (Pali CETP-3) पुनायता रोड, जिला पाली | 1999 | 09.08 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 4. | चतुर्थ संयंत्र (Pali CETP-4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली | 2009 | 12.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 5 | प्रथम संयंत्र (Balotra CETP-1) बालोतरा, जिला बाडमेर | 2000 | 06.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 6 | द्वितीय संयंत्र (Balotra CETP-2) बालोतरा, जिला बाडमेर | 2006 | 12.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 7 | जसोल, जिला बाडमेर | 2004 | 02.50 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 8 | बिठुजा, जिला बाडमेर | 2006 | 30.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 9 | सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर | 2004 | 20.00 एम.एल.डी. | वस्त्र एवं स्टील री-रोलिंग उद्योग |
| 10 | रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी, जिला अलवर | 2004 | 06.00 एम.एल.डी. | जल प्रदूषक उद्योग एवं आवासीय बस्तियों का मल-जल |
| 11 | रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर | 2002 | 00.60 एम.एल.डी. | चर्मशोधन उद्योग |

सीवेज उपचार संयंत्र

वर्ष 2011-2012 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा राज्य में चिन्हित 189 नगर निगमों/ नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को संबंधित शहर/कस्बों में मल-जल के समुचित उपचार एवं निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिये जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत दिनांक 03.08.2011 को निर्देश जारी किये गये। राज्य मण्डल ने पत्र दिनांक 11.08.2011 द्वारा सचिव, स्वायत्त शासन तथा सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को नगर निगमों/नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को राज्य मण्डल के पत्र दिनांक 03.08.2011 द्वारा जारी निर्देशों की पालना 6 माह में सुनिश्चित कराने के निर्देश भी जारी किये। राज्य मण्डल ने पुनः पत्र दिनांक 18.11.2011 द्वारा सभी नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 03.08.2011 की पालना सुनिश्चित करने के लिये पुनः आग्रह किया गया। राज्य मण्डल द्वारा पत्र दिनांक 11.08.2011 द्वारा सचिव, स्वायत्त शासन तथा सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को राज्य मण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सम्बन्धित नगर पालिकाओं से सुनिश्चित कराने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

राज्य में कार्यरत एवं निर्माणाधीन मल-जल उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिकाओं में दिया गया है:-

राज्य के कार्यरत मल-जल(सीवेज)उपचारसंयंत्र

| क्र.सं. | स्थल | क्षमता |
|---------|---|-----------------|
| 1 | बल्लभ गार्डन, बीकानेर | 20.00 एम.एल.डी. |
| 2 | आमेर रोड, जयपुर | 27.00 एम.एल.डी. |
| 3 | जवाहर सर्किल, जयपुर | 01.00 एम.एल.डी. |
| 4 | डेलावास, जयपुर | 62.50 एम.एल.डी. |
| 5 | डेलावास, जयपुर | 62.50 एम.एल.डी. |
| 6 | नान्दडी, बनाड रोड, जोधपुर | 20.00 एम.एल.डी. |
| 7 | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड आवासीय कॉलोनी, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू | 00.20 एम.एल.डी. |

राज्य के निर्माणाधीन मल-जल(सीवेज)उपचार संयंत्र

| | | |
|----|---|-----------------|
| 1 | खानपुरा, अजमेर | 20.00 एम.एल.डी. |
| 2 | सालावास, जोधपुर | 50.00 एम.एल.डी. |
| 3 | ग्राम धाकड़खेड़ी, डाढ़देवी रोड़, तहसील लाड़पुरा, कोटा | 20.00 एम.एल.डी. |
| 4 | अलवर | 20.00 एम.एल.डी. |
| 5 | जयसिंहपुरा खोर, जयपुर | 50.00 एम.एल.डी. |
| 6 | सेन्द्रल पार्क, जयपुर | 01.00 एम.एल.डी. |
| 7 | ई.एस.आई.हॉस्पिटल, मण्डिया रोड, पाली | 07.50 एम.एल.डी. |
| 8. | ग्राम देवपुरा, बूँदी | 08.00 एम.एल.डी. |

| | | |
|----|-------------------------------|-----------------|
| 9 | भिवाड़ी, जिला अलवर | 04.00 एम.एल.डी. |
| 10 | भीलवाड़ा | 05.05 एम.एल.डी. |
| 11 | चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ | 06.00 एम.एल.डी. |
| 12 | चूरु | 07.00 एम.एल.डी. |
| 13 | सरदार शहर, चूरु | 04.00 एम.एल.डी. |
| 14 | सरदार शहर, चूरु | 09.60 एम.एल.डी. |
| 15 | राजखेड़ा, धौलपुर | 10.00 एम.एल.डी. |
| 16 | राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर | 01.06 एम.एल.डी. |
| 17 | रलावता, जयपुर | 30.00 एम.एल.डी. |
| 18 | गजधरपुरा, जयपुर | 30.00 एम.एल.डी. |
| 19 | किशोरपुरा, कोटा | 30.00 एम.एल.डी. |
| 20 | बालीता, कोटा | 06.00 एम.एल.डी. |
| 21 | सवाईमाधोपुर | 10.00 एम.एल.डी. |

प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

| नमूनों के प्रकार | विश्लेषित नमूनों की संख्या |
|---------------------|----------------------------|
| जल/ उच्छिष्ट | 2619 |
| उत्सर्जित वायु/ गैस | 1075 |
| परिवेशी वायु | 37796 |
| ध्वनि स्तर | 440 |
| योग | 41930 |

जनचेतना

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जाग्रत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्य कार्यालय द्वारा पर्यावरण/जल/वायु के प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :

| 1.4.2011 को लम्बित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | योग | वर्ष के दौरान निष्पादित शिकायतों की संख्या | 31.3.2012 को लम्बित शिकायतों की संख्या |
|---------------------------------------|--|-----|--|--|
| 100 | 74 | 174 | 118 | 56 |

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोकसूचना अधिकारियों को कुल 213 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इन सभी प्रकरणों में मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 47 अपीलें दायर की गईं। इन सभी का निस्तारण किया गया।

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में 20 विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं, 4 आधारभूत परियोजनाओं तथा 29 खनन परियोजना प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई।
- आलोच्य वर्ष में राज्य मण्डल द्वारा 2 औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं, 2 आधारभूत परियोजनाओं तथा 16 खनन परियोजना के प्रकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किये गये।
- आलोच्य वर्ष में राज्य मण्डल द्वारा 2 औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं तथा 11 खनन परियोजना के प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

विधिक कार्यवाही

- राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 के तहत राज्य में प्लास्टिक कैंरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन को दिनांक 01.08.2010 से प्रतिबन्धित किया गया एवं निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति जिनमें कोई दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगाने वाला या रेडी वाला सम्मिलित है, माल के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैंरी बैग का उपयोग नहीं करेगा। इस अधिसूचना के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत 66 अभियोजन दायर किये गये।
- अब तक 142 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालयों के समक्ष आवश्यक प्रकरण/परिवाद प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली ने मण्डल द्वारा दायर एक परिवाद पर दोष सिद्ध का निर्णय देते हुए उल्लंघनकर्ता को रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। एक अन्य परिवाद में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांरा ने मण्डल द्वारा दायर परिवाद पर दोष सिद्ध का निर्णय देते हुए कुल रूपये 1500/- राज्यकोष में जमा कराने का निर्णय दिया।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इस क्रम में प्रतिबंध लागू किये जाने की तिथि से मार्च 2012 तक कुल 16282 निरीक्षण किये गये जिसके दौरान 3181 उल्लंघनकर्ताओं ने स्वेच्छा से कुल 52810.68 किग्रा कैंरी बैग समर्पित किये अथवा उनसे कैंरी बैग जब्त किये गये। राज्य मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2010 द्वारा समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु

निर्देशित किया है एवं प्रतिबन्ध के सफल क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने हेतु राज्य मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों, मीडिया व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सघन निरीक्षण एवं छापामारी की कार्यवाही की गई है।

- वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 478 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 173 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 255 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 28 इकाइयों को तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत 22 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

विविध गतिविधियाँ

राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर परिवेशीय वायु की मोनिटरिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 5 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 21 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के इस कार्य के लिए अलवर, कोटा एवं उदयपुर में 3-3 स्थानों पर तथा जयपुर एवं जोधपुर में 6-6 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।

मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से प्रारम्भ की गई एक अन्य परियोजना के तहत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता के आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21 जिलों के 126 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों के जल के नमूने एकत्र करने की आवृत्ति मासिक, झीलों की त्रैमासिक एवं कुओं की छःमाही है। पुराने 51 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 6 केन्द्र नदियों पर, 8 केन्द्र झीलों पर एवं 37 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्डपम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

| आय (लाख रुपये में) | | व्यय (लाख रुपये में) | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| विवरण | राशि | विवरण | राशि |
| के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त अनुदान | 42.28 | वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय | 1127.41 |
| जल उपकर पुनर्भरण | 1655.37 | कार्यालय व्यय | 261.76 |
| सम्मति शुल्क | 3810.57 | प्रयोगशाला व्यय | 3.92 |
| पी.डी.खाते से ब्याज | 41.25 | विज्ञापन एवं प्रकाशन | 114.54 |

| आय (लाख रुपये में) | | व्यय (लाख रुपये में) | |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| विवरण | राशि | विवरण | राशि |
| बैंक/एफ.डी.आर. पर ब्याज | 1819.98 | अनुसंधान एवं विकास | 35.96 |
| अन्य ब्याज | 0.55 | पूंजीगत व्यय | 376.56 |
| विविध आय | 14.43 | के. प्र. नि. मण्डल से प्राप्त राशि के | 20.19 |
| नमूना विश्लेषण | 7.78 | विरुद्ध व्यय | |
| बी.एम.डब्ल्यू. | 74.58 | | |
| योग | 7466.79 | योग | 1940.34 |

जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2011-12 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्रीय सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्रीय सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

| उपकर राशि का विवरण | राशि (रुपयों में) |
|---|-------------------|
| जल उपकर निर्धारण की राशि | 24,14,05,887.00 |
| जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि | 14,53,18,366.00 |
| केन्द्रीय सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि | 17,11,44,143.00 |
| केन्द्रीय सरकार से जल उपकर पुनर्भरण की राशि | 16,55,36,585.00 |